संचिका सं0–10/यो0–01–02/2019......129.......(10)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अनौपचारिक रुप से परामर्शित

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:– **वित्त विभाग ।**

पटना, दिनांक–07/06/2019

विषय:–लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना में 400 बेड के हड्डी रोग संबंधी विशिष्ट अस्पताल के निर्माण हेतु कुल रुपये 2,15,00,00,000/–(दो अरब पन्द्रह करोड़ रुपये) की स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल रुपये 25,00,00,000/– (पच्चीस करोड़ रुपये) व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश: स्वीकृत ।

राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील एवं कृत संकल्पित है। इसी क्रम में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना में 400 बेड के हड्डी रोग संबंधी विशिष्ट अस्पताल के भवन निर्माण के अतिरिक्त अन्य कार्य हेतु विभागीय पत्रांक–1192(10), दिनांक–06.03.2019 से कुल रुपये 2,15,00,00,000/–(दो अरब पन्द्रह करोड़ रुपये) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में पत्रांक–43(10), दिनांक–11.03.2019 से कुल रुपये 44,70,000/–(चौवालीस लाख सत्तर हजार रुपये) का आवंटिन दिया गया था। इसी क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपलब्ध उपबंध के आधार पर कुल रुपये 25,00,00,000/–(पच्चीस करोड़ रुपये) व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

3. उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना (BMSIC) के द्वारा कराया जायेगा। कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायगा:–

(i) भवन निर्माण कार्य परिसर अवस्थित उपलब्ध भूमि पर ही कराया जाएगा।

(ii) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नही कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।

(iii) निगम द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कार्य कराया जायेगा।

(iv) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।

(v) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा। भवन निर्माण कार्य में सामग्री की गुणवत्ता प्रभावित न हो, इसकी जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी/एजेंसी की ही होगी। सिविल सर्जन एवं प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा भी यह सम्पुष्टि कर ली जाएगी कि प्राक्कलन के अनुरूप कार्य सम्पन्न करा लिया गया है।

(vi) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो, यह सुनिश्चित कराया जायेगा। भवन निर्माण संबंधी कार्यादेश निर्गत के उपरान्त समय सीमा का पूर्ण अनुपालन की जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी/एजेन्सी की होगी।

D:\DEP-10\Amrendra Kr\Rajayadesh & Awanatanadesh doc\(2019-20)\Loknayak Jaiprakash Narayan Hos..doc

(vii) निगम के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय। तद्क्रम में निगम द्वारा भी भवन निर्माण संबंधी छः मासिक प्रगति से विभाग को अवगत कराया जाएगा, जबतक भवन निर्माण कार्य पूर्ण न हो जाय।

(viii) योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अगर प्राक्कलित राशि की पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेंगे।

4. इस कार्य हेतु मांग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष– 01– शहरी स्वास्थ्य सेवायें, लघु शीर्ष– 051– निर्माण, उप शीर्ष–0104–शहरी क्षेत्र में राजकीय औषधालय का निर्माण, विपत्र कोड–20-4210010510104, विषय शीर्ष– (53 01) मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे । निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी बी0टी0सी0 फार्म संख्या–46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से निगम के पी0एल0 खाता संख्या–PLA-244 एवं विपत्र कोड– K8448001110002 में सुलभ करायेंगे ।

6. बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण विवरणी (Plus-Minus Memoranda) माहवार तथा एतद्संबंधी डी0सी0 विपत्र छः माह के अन्दर सुलभ करायेंगे ।

7. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 वि0(2), दिनांक–17.04.98, 8543 वि0(2), दिनांक–27.11.2007 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी ।

8. राशि की निकासी उपर्युक्त कंडिका–3 के मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष में उपबंधित राशि से की जायेगी ।

9. राशि की निकासी नया सचिवालय, विकास भवन, कोषागार, पटना से की जायेगी।

10. प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय स्वास्थ्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

11. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 10/यो0–01–02/2019 के पृष्ठ–....19.../टि0 में प्राप्त है ।

12. संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

13. यह मात्र स्वीकृत्यादेश है । आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव ।

D:\DEP-10\Amrendra Kr\Rajayadesh & Awanatanadesh doc\(2019-20)\Loknayak Jaiprakash Narayan Hos..doc

ज्ञापांकः– 129(10) /स्वा0, पटना, दिनांक– 07-06-19

प्रतिलिपि—योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, अस्पताल रोड, शास्त्रीनगर, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, पटना/निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग,बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–10/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। 05/6/19

सरकार के विशेष सचिव ।

D:\DEP-10\Amrendra Kr\Rajayadesh & Awanatanadesh doc\(2019-20)\Loknayak Jaiprakash Narayan Hos..doc